

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी - डॉ दिनेश राय सापेला, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 27 / 2023
रजिस्ट्रेशन नं. : 2023 / 33

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बांसवाड़ा (राज) बनाम

अभियुक्त :-

1. श्री मनोज कुमार ठाकुर पुत्र श्री लीलाराम ठाकुर निवासी शिव कॉलोनी, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स संस्कार भोजनालय, शिव कॉलोनी, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 17-04-2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री शशिकांत शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 15-03-2023 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 21-12-2022 को 01.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स - संस्कार भोजनालय, शिव कॉलोनी, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री मनोज कुमार ठाकुर पुत्र श्री लीलाराम ठाकुर उपस्थित थे। विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में संस्कार भोजनालय, शिव कॉलोनी, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर पनीर 05 किलोग्राम डी फ्रिज में आम जनता को खाद्य सामग्री विक्रय हेतु पाया। इसमें गुणवत्ता की कमी/ मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए पनीर 01 किलोग्राम वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 360 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा पनीर 01 किलोग्राम को चार साफ-सूखे एवं खाली प्लास्टिक के बोतलों में बराबर-बराबर मात्रा में भरकर फार्मेलीन की 20-20 बूंद प्रत्येक में डालकर जारों का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द कर

नियमानुसार सील बन्द किया। चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड

क्रमांक W-1253 लिखा व नमूने का विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

विक्रेता तथा गवाहान के भी हस्ताक्षर करवाये गये तैयार लेबल प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाया गया। प्रत्येक नमूने को नियमानुसार सील बन्द किया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बाँसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बाँसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बाँसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/04 दिनांक 09-01-2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बाँसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 03 दिनांक 02-01-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया पनीर का नमूना कोड क्रमांक **W-1253** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा पनीर का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 16-03-2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 17-04-2023 को अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बाँसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/04 दिनांक 09-01-2023 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बाँसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 03 दिनांक 02-01-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया पनीर का नमूना कोड क्रमांक **W-1253** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में

अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।



न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कर्तकटर)
बांसवाड़ा (राज.)

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड पनीर को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री मनोज कुमार ठाकुर पुत्र श्री लीलाराम ठाकुर निवासी शिव कॉलोनी, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स संस्कार भोजनालय, शिव कॉलोनी, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा को रूपये 40000/- (अक्षरे रु चालीस हजार मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 17-04-2023 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(डॉ. विनेश राय सापेला)
न्याय निणयन अधिकारी
(अति. जिला कलेक्टर)
(अति. जिला कलेक्टर)
बांसवाड़ा